संख्या : 4033/1-10-2010-14(63)/2010 टी0सी0

प्रेषक,

के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक : 21 फरवरी, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़/अति वृष्टि से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश पर सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु आपदा राहत निधि से अनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उददेश्य से कृषि निवेश के वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 2,74,64,217.00 **(रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख चौसठ हजार दो सौ सत्रह मात्र)** निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | मद | धनराशि (लाख रू0 में) | जिलाधिकारी का सदर्भ/पत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झांसी | कृषि निवेश अनुदान | 43,64,75] | अ0शा0प्र0सं0 1246/मु0रा0आ0–03/13)/दै0आ0/2010–11 दिनांक 01.02.2011 |

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि बाढ़/अति वृष्टि से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की गाइड लाइन संख्या 32–34/2007–एन0डी0एम0–1 दिनांक 27 जून, 2007 में दिये गये मानकों के अनुसार वितरित किया जाएगा।यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय।

4. वर्ष 2010–11 में कृषि निवेश मद में वितरण 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायगा।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाय। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढकर सुनाया भी जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एवं मुक्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही दैनिक रिपोर्ट भी राहत आयुक्त की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत संभावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में एुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

के0के0 सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-4033 (1)/1-10-2011-14(63)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- मण्डलायुक्त झांसी।
- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- मुख्य कोषाधिकारी झांसी।
- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5
- राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,